

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर सर्किट कोर्ट रीवा ₹५०प०



श्रीमती इन्द्रदेवी देवी पत्नी श्री फैकलाल गुप्ता, पिता श्री रामचन्द्र गुप्ता, निवासी ग्राम खटखरी, उम्र 55 वर्ष, तहसील-हनुमना, थाना-शाहपुर, जिला-रीवा ₹५०प०

----- निगरानी क्रमांक

R1703-II/12

बनाम

1- शासन म०प०

~~श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर~~ के पिता हारिका प्रसाद गुप्ता

क्रमांक ५ के बारिस

1- धनरमपास चुल्ता तन्म स्व. श्रीमान् लाल चुल्ता उम्र ५० वर्ष

2- संतोष चुमार चुल्ता तन्म स्व. श्रीमान् लाल चुल्ता उम्र ३० वर्ष

3- दोनों निवासी हाथीलाल कालोनी श्रीवेणीदेवी विघामंदिर के

पाली ग्राम जबलपुर, जिला जबलपुर म०प०

4- शशवनाथ चुल्ता

दोनों के पिता काशी प्रसाद गुप्ता

5- रामसुरेश गुप्ता

6- मुर्मो व स्माबाई गुप्ता बेवा रामकरण गुप्ता

7- मोहन गुप्ता

दोनों के पिता श्री रामकरण गुप्ता

8- लल्लू गुप्ता

9- २, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १० निवासी ग्राम खटखरी, तहसील-हनुमना थाना-शाहपुर, जिला-रीवा ₹५०प० ----- गैरनिगरानीकता गणे

अधिवक्ता श्री अमित शर्मा
दिनांक छारा छठा २०१२
रीवा, दि. २३.५.२०१२

अमित शर्मा

निगरानी विस्तृत आदेश तहसीलदार
तहसील-मध्यम, जिला-रीवा ₹५०प०
के प्रकरण क्रमांक ११३३-५४११-१२,
पारित आदेश दिनांक १६/१/२०१२.

निगरानी अंतिर्गत धारा-५ म०प०-भू-
राजस्व संविता १९५९ई. ।

रज्यानी

१०२

208

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1703-II/12

जिला-रीवा

इन्द्रानी देवी/ शासन, रामदयाल गुप्ता वगैरः

(1)

(2)

(3)

/9.12.18-

- आवेदक की ओर से श्री नवीन कुमार सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मउगंज, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ 5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16.01.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।



सदस्य

